

## न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0खान  
आई.ए.एस.

संख्या 146/2020

कुमार शर्मा पुत्र अश्विनी कुमार शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं0 17, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला

— अपीलान्त

बनाम

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी चिडावा एवं एस0डी0एम0, चिडावा, जिला झुंझुनू।
2. मुस्ताक खान पुत्र सलीम खान, जाति न्यारिया मुसलमान, निवासी वार्ड नं0 7 नया, टीवी टावर के पास, चिडावा, जिला झुंझुनू।

— रेस्पोजेन्ट

अपील अध्याय 17 बी The Rajasthan Municipalities Registration of Electors 1974 खिलाफ आदेश दिनांक 07.07.2020 निर्वाचन निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी नगर पालिका चिडावा एवं एस0डी0एम0 चिडावा बाबत रेस्पोजेन्ट नं0 2 का नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नं0 18 की मतदाता सूची में नाम जोड़ने के विरुद्ध अपील।

उपस्थित

1. मो0 खादिम, एडवोकेट— अपीलांत की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोजेन्ट सं0 1 की ओर से
3. श्री संजय सैनी, एडवोकेट— रेस्पोजेन्ट सं0 2 की ओर से

आदेश

दिनांक 26.10.2020

उक्त विषयक अपील विद्वान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ( एस0डी0ओ0 ) चिडावा के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में विवरण अपील अपीलान्त के अनुसार इस प्रकार है कि अदालत नातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.2020 खिलाफ कानून है। रेस्पोजेन्ट नं0 2 वार्ड नम्बर पुराना 17 नया 7 का मूल निवासी है एवं अब नया वार्ड नं0 17 में निवास नहीं करता है। वार्ड नम्बर 17 में जो फार्म नम्बर 3 नाम जुड़वाने का पेश किया गया है उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड व राशन कार्ड भी वार्ड नं0 17 का है। किन्तु इसके बावजूद रेस्पोजेन्ट सं0 1 ने बिना दस्तावेजों पर गौर किये रेस्पोजेन्ट सं0 2 के नाम वार्ड नं0 17 की वोटर लिस्ट में क्रमांक क्रमशः 838 पर जोड़ दिया है। अतः अपील मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोजेन्ट सं0 2 का नाम नगरपालिका के वार्ड नं0 17 की निर्वाचन नामावली 2020 के क्रम संख्या 838 से हटाया जावे।

जिला कलक्टर झुंझुनू

ज्यादा की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की प्रस्तुति की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्त नगर पालिका चिडावा के वार्ड नं० 17 का मूल निवासी है। अपीलान्त नं० 2 न तो वार्ड नं० 17 में निवास करता है और ना ही वार्ड नं० 17 में इनके कोई दस्तावेज का हुआ है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर रेस्पोंडेन्ट नं० 2 का नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नं० 17 की निर्वाचन नामावली 2020 के क्रम सं० क्रमशः 838 से नाम हटाया जावे।

रेस्पोंडेन्ट सं० 2 के वकील ने वकील अपीलान्त के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्त नं० 2 का मकान चिडावा में दो जगह नहीं है। यदि उनका नाम वार्ड नं० 17 से हटाया जाता है तो वह न्यायिक अधिकार से वंचित हो जायेगा। बी०एल०ओ० की रिपोर्ट के आधार पर अदालत मातहत ने जो निर्णय किया है वह विधिनुकूल है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाकर रेस्पोंडेन्ट सं० 2 का नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नम्बर 17 की मतदाता सूची में यथावत रखा जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ( वकील रेस्पोंडेन्ट सं० 1 ) ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्त के तर्कों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि बी०एल०ओ० की रिपोर्ट के आधार पर अदालत मातहत ने जो निर्णय किया है वह विधिनुकूल है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाकर रेस्पोंडेन्ट सं० 2 के नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नम्बर 17 की मतदाता सूची में यथावत रखा जावे।

इन्ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अपील का निर्णय अपीलान्त के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा०प० दफा 5 मि०अ० स्वीकार किया जाता है। बी०एल०ओ० की रिपोर्ट के अनुसार रेस्पोंडेन्ट सं० 2 नगर पालिका चिडावा के वार्ड नं० 17 में ही निवास करता है। अन्य वार्ड में उक्त रेस्पोंडेन्ट सं० 2 का मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ( एस०डी०एम० ) चिडावा द्वारा पारित आदेश उचित है। अतः अपील का निर्णय मेरिट के आधार पर किया जाकर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जाता है। रेस्पोंडेन्ट सं० 2 का नाम नगर पालिका चिडावा की वार्ड नं० 17 की मतदाता सूची में यथावत रखा जावे। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से क्रम की जाकर क्रमशः सुनार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 26.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( यू०डी०खान )

जिला कलेक्टर झुंझुनूं  
जिला कलेक्टर झुंझुनूं

26/10/2020